

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग
'उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

पत्रांक: 5/7-243/ज०नि०प्र०/2015

दिनांक: 10 फरवरी, 2015

विषय: केन्द्र पोषित 05 विकास योजनाओं के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजिटाइजेशन तथा आधार संख्या लिंकेज के सम्बन्ध में।

महोदय,


अवगत ही हैं कि केन्द्र पोषित 05 विकास योजनाओं यथा— महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा), पेंशन योजनायें (वृद्धावस्था/विकलांग/विधवा), दशमोत्तर छात्रवृत्तियाँ (एस०सी०/एस०टी०/अल्पसंख्यक), पी०डी०एस० राशनकार्ड धारक तथा एल०पी०जी० उपभोक्ता जो सब्सिडी कनेक्शन वाले हैं, के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के विवरण का डिजिटाइजेशन एवं उनके बैंक खातों से आधार लिंकेज का कार्य मार्च, 2015 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उपरोक्त कार्य को समयबद्ध एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु यू०आई०डी०ए०आई० द्वारा पत्र संख्या: ए-11016/6/2010/(आई/ए रजिस्ट्रार)/यू०पी०/यूआईडीएआई/एलकेओ/8739 दिनांक 30-01-2015 (संलग्नक-1) के माध्यम से नॉन स्टेट रजिस्ट्रार को जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में आयोजित बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु इनरोलमेंट एजेंसियों को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है तथा पत्र संख्या: ए-11016/6/2010/(आई/ए रजिस्ट्रार)/यू०पी०/यूआईडीएआई/एलकेओ/8697 दिनांक 30-01-2015 (संलग्नक-2) द्वारा जनपदों में कार्यरत नॉन स्टेट रजिस्ट्रार एवं उनकी इनरोलमेंट एजेंसियों की सूचना जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(ड० देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।